R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 10 ♦ अप्रैल 2018

मौद्रिक नीति

पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018–19

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने 5 अप्रैल 2018 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/–2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है। इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों का वर्णन नीचे दिए गए विवरण में किया गया है। (https://rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=43573)

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

कार्यशील पूंजी वित्त में अनिवार्य ऋण घटक

कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच अधिक से अधिक क्रेडिट अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा गया है कि बड़े उधारकर्ताओं के लिए निधि आधारित कार्यशील पूंजी वित्त में 'ऋण घटक' के न्यूनतम स्तर का निर्धारण किया जाए।

काउंटरसायकल कैपिटल बफर

काउंटरकालिक कैपिटल बफर (सीसीसीबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य परीक्षण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीबीसी को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन को आस्थगित करना

इसे देखते हुए कि – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तीसरे अनुसूची में निर्धारित वित्तीय विवरणों के प्रारूपों को आईएनडी एएस के तहत खातों के साथ संगत बनाने के लिए, आवश्यक विधायी संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं– कई बैंकों की तैयारी के स्तर के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि जब आवश्यक विधायी परिवर्तन अपेक्षित है तब 1 अप्रैल 2018 से एक साल तक आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को आस्थगित रखा जाए।

आईआरएस मार्केट में गैर–निवासियों को प्रवेश

एक गहरे रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) बाजार जो अलग–अलग सहभागियों को समायोजित करता है, विकसित करने के लिए, प्रस्तावित है कि भारत में रुपये के आईआरएस बाजार तक गैर–निवासियों को अनुमति दी जाए।

रुपया स्वैपशन का परिचय

रुपये में ब्याज दर के स्वैपशन की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि ब्याज दर जोखिम से बचाव पाने वालों को समय में बेहतर लचीलेपन में सक्षम किया जा सके।

स्ट्रिप्स दिशा निर्देशों की समीक्षा

सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग–अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और निवेशकों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

गैर–व्यक्तिगत बाजार प्रतिभागियों के लिए एलईआई तंत्र

वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता में सुधार के प्रयास को जारी रखते हुए, गैर–व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी वित्तीय बाजार लेनदेन के लिए, ब्याज दर, मुद्रा या क्रेडिट बाजार में कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) तंत्र को लागू करने का प्रस्ताव है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग के लिए एकल मास्टर फॉर्म

रिज़र्व बैंक एक सिंगल मास्टर फॉर्म के माध्यम से 30 जून, 2018 तक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू करने की योजना बना रहा है जो सभी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा, चाहे जिस साधन के माध्यम से विदेशी निवेश किया जाता हो।

आरबीआई डाटा साइंस लैब का निर्माण

एक पूर्ण सेवा केंद्रीय बैंक के लिए यह महत्वपूर्ण है, जैसे कि आरबीआई, जिसके पास विभिन्न जिम्मेदारियां है– मुद्रास्फीति प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, भंडार प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, वित्तीय बाजार आसूचना और विश्लेषण, और समग्र वित्तीय स्थिरता–के लिए प्रासंगिक आंकड़ों को प्रदान करने और इसके पूर्वानुमान, नाउकास्टिंग, निगरानी और शीघ्र–चेतावनी का पता लगाने की योग्यताएं जो सभी नीति निर्धारण के लिए सहायक है में सुधार के लिए सही फिल्टर का काम कर सके। सूचना एकत्र करने, कंप्यूटिंग क्षमता और विश्लेषणात्मक टूलकिट में चल रहे परिवर्तन की पृष्ठभूमि में, पॉलिसी बनाने में न केवल नियामक रिटर्न और सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों बल्कि डिजिटल दुनिया में उपभोक्ता इंटरैक्शन से संरचित और अवसंरचित रीयल–टाइम जानकारी की बड़ी मात्रा भी फायदेमंद है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि आरबीआई के भीतर एक डाटा साइंस लैब स्थापित करके बिग डेटा एनालिटिक्स की ताकत का लाभ उठाया जाए जिसमें विशेषज्ञ और नवोदित विश्लेषकों, आंतरिक और साथ ही साथ लेटरल, जो अन्य के साथ ही कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अर्थमिति और / या वित्त में प्रशिक्षित हो, को शामिल किया जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि यह इकाई दिसंबर 2018 तक शुरू हो जाएगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=43574)

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाना

कार्यपालक निदेशकों की एक समिति की सिफ़ारिशों पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई तथा उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 06 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया कि एसएलबीसी संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों द्वारा निम्नलिखित 'कार्रवाई बिन्दुओं' को कार्यान्वित किया जाए:-

- राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकें प्राथमिक तौर पर नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें तथा इन बैठकों में बैंकों/ सरकारी विभागों के केवल वरिष्ठ अधिकारी ही सहभागिता करें। सभी रूटीन मुद्दों को एसएलबीसी की उप-समिति(यों) को सौंपा जाए। एसएलबीसी बैठकों के लिए सुगठित कार्यसूची को अंतिम रूप देने तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त कार्यसूची प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए एसएलबीसी में एक स्टीयरिंग उप-समिति बनाई जा सकती है। आमतौर पर, उप-समिति में, एसएलबीसी संयोजक, आरबीआई और नाबार्ड के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग यथा वित्त/ संस्थागत वित्त के वरिष्ठ प्रतिनिधि एवं बृहद स्तर पर मौजूद दो से तीन बैंकों के प्रतिनिधि, को शामिल किया जा सकता है। अन्य मुद्दे-विशिष्ट उप-समितियों को आवश्यकतानुसार गठित किया जाना चाहिए।
- ऐसे मामलों में जहां एसएलबीसी संयोजक बैंक के प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक एसएलबीसी की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक संबंधित राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त के साथ बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत शाखाओं, ब्लॉकों, जिलों और राज्यों के कॉर्पोरेट व्यवसाय लक्ष्य को वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के साथ जोड़ा जाए। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में स्थित बैंक के नियंत्रक कार्यालयों को अपने बैंक की आंतरिक व्यवसाय योजनाओं को एसीपी के साथ सिंक्रनाइज़ करना चाहिए।
- वर्तमान में, विभिन्न एलबीएस मंचों, जैसे कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी), पर आयोजित तिमाही बैठकों में चर्चाएँ मुख्य रूप से वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों को आबंटित लक्ष्य की तुलना में उनके द्वारा किए गए ऋण संवितरण निष्पादन पर केंद्रित होती है। बैंकों द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किए गए डेटा की प्रामाणिकता और समयबद्धता को सुनिश्चित करना एक चुनौती है क्योंकि इस डेटा के एक बड़े भाग को मैन्युअल रूप से संकलित करते हुए एसएलबीसी संयोजक बैंकों के डेटा प्रबंधन सिस्टम में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। इस डेटा को संबंधित बैंकों के सीबीएस में मौजूद डेटा से मिलाने पर यह काफी हद तक भिन्न पाया जाता है। अतः ब्लॉक, जिला साथ ही साथ राज्य से संबंधित डेटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए प्रत्येक एसएलबीसी द्वारा संचालित वेबसाइट पर एक मानक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक डेटा को बैंकों के सीबीएस और/ या एमआईएस से प्रत्यक्ष रूप से डाउनलोड करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। परिकल्पित डेटा प्रवाह तंत्र को लागू करने के लिए एसएलबीसी वेबसाइटों और सभी बैंकों के सीबीएस और एमआईएस प्रणाली में आवश्यक संशोधन किया जाए।
- बीएलबीसी मंच, जो कि अग्रणी बैंक योजना के आधार स्तर पर कार्य करता है, को मजबूत बनाने हेतु यह आवश्यक है कि सभी शाखा प्रबंधक बीएलबीसी बैठकों में भाग लें तथा अपने मूल्यवान निविष्टियों के साथ चर्चा को समृद्ध करें। बैंकों के नियंत्रक प्रमुख भी बीएलबीसी की कुछ चुनिंदा बैठकों में भाग ले सकते हैं।
- ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की भागीदारी को और अधिक सक्रिय बनाया जाए तथा एलबीएस के विभिन्न मंचों विशेष रूप से डीसीसी स्तर पर उसकी निगरानी की जाए। क्षेत्र में ऋण खपत क्षमता को बढ़ाने हेतु कौशल के विकास और धारणीय लघु उद्यमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नवीनीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान को जिले में ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए कौशल ख़ाका तथा क्षेत्र की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला/ ब्लॉक के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11246Mode=0)

एलडीएम को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई बिंदु

वित्तीय क्षेत्र में हुए वर्षों के बदलावों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस योजना की प्रभावकारिता का अध्ययन करने तथा सुधार संबंधी उपायों को सुझाने के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशकों की एक समिति गठित की थी। समिति की सिफ़ारिशों पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई तथा उनके द्वारा दिए गए प्रतिक्रियाओं के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 06 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया कि अग्रणी बैंकों द्वारा निम्नलिखित 'कार्रवाई बिन्दुओं' को कार्यान्वित किया जाए:-

- एलडीएम द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाए कि एलडीएम के रूप में तैनात अधिकारी नेतृत्व कौशल से युक्त हो।
- कार्यालय के लिए अलग स्थान के प्रावधान के अलावा, एलडीएम कार्यालय में तकनीकी आधारभूत ढांचा जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, डाटा कनेक्टिविटी, आदि, जो कि एलडीएम द्वारा उनके मूलभूत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बुनियादी आवश्यकता है, बिना अपवाद के प्रदान किया जाए।
- यह सुझाव दिया जाता है कि एलडीएम को एक समर्पित वाहन प्रदान किया जा सकता है ताकि वे बैंक अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित कर सकें तथा विभिन्न वित्तीय साक्षरता पहल एवं बैठकों को आयोजित कर सकें/ उनमें उपस्थित हो सकें।

एफआईडीडी ने आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता सामग्री जारी की

श्री बी पी कानुनगो, उप गवर्नर ने पांच चुनिंदा लक्ष्य समूहों के लिए पांच पुस्तिकाओं के रूप में, 18 अप्रैल 2018 को आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता सामग्री जारी की। वित्तीय साक्षरता प्रभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग,केंद्रीय कार्यालय ने किसानों, छोटे उद्यमियों, स्कूल के छात्रों, स्वयं सहायता समूह और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों द्वारा उपयोग के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता सामग्री विकसित की ।

यह सामग्री रिजर्व बैंक के वित्तीय शिक्षा वेबपेज (https: // www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।रिजर्व बैंक के होम पेज पर वित्तीय जागरूकता संदेश शीर्षक वाला एक टिकर वित्तीय शिक्षण वेबपेज पर ले जाता है जिसमें पुस्तकें 'नए' फ्लैश संदेश के साथ तीसरे अनुच्छेद में हाइपरलिंक की गई है। पूरी सामग्री को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है। इसका अनुवाद यथासमय अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाएगा और उसे रिजर्व बैंक के वित्तीय शिक्षण वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) इन पांच पुस्तकों की मदद से अनिवार्य लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता शिविरों के लिए अध्यापन-शास्त्र की संरचना कर सकते हैं ।

- डेटा प्रविष्टि/विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ अधिकारी/सहायक की कमी, एलडीएम के द्वारा सामना की जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। एलडीएम कार्यालय में स्टाफ की तैनाती न होने की स्थिति में/ कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाए।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करें। साथ ही, अग्रणी बैंक योजना के सफल परिचालन हेतु अग्रणी बैंकों से अपेक्षा हैं कि वे एक कदम आगे बढ़कर इन महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारियों को दी जानेवाली न्यूनतम सुविधाओं से अधिक सुविधा उन्हें प्रदान करें। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11247Mode=0)

बैंकिंग विनियमन

निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन

सरकारी प्रतिभूतियों पर यील्ड में तेज़ वृद्धि के प्रणालीगत प्रभाव के मुद्दे को सुलझाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 02 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर 2017 तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफ़एस और एचएफ़टी में धारित निवेश पर एमटीएम हानि के लिए प्रावधान को स्प्रेड करने का विकल्प बैंकों को दिया जाए। जिस तिमाही में हानि हुई है उस तिमाही से आरंभ करते हुए चार तिमाहियों तक विभिन्न तिमाहियों के लिए प्रावधान राशि समान रूप से विभाजित किया जा सकता है।

उक्त विकल्प का उपयोग करने वाले बैंक अपने लेखे पर टिप्पणियां/ तिमाही परिणाम में निम्न विवरण देते हुए उचित प्रकटीकरण करेंगे।

- दिसंबर 2017 तथा मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए निवेश पोर्टफोलियो में मूल्यह्रास हेतु संदर्भित तिमाही/ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और
- शेष तिमाहियों में बनाए रखने के लिए अपेक्षित बैलेंस

इसके अतिरिक्त, भविष्य में यील्ड की बढ़ौती के निमित्त आनेवाली स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त रिज़र्व बनाने के उद्देश्य से सभी बैंकों को वर्ष 2018-19 से लागू करके, निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) सृजित करने के लिए निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है।

एक ऐसी राशि जो निम्न से कम नहीं हो,

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ
- अनिवार्य विनियोग को कम करते हुए वर्ष के लिए निवल लाभ,

को आईएफ़आर में तब तक सतत आधार पर अंतरित किया जाए जब तक राशि एचएफ़टी और एएफ़एस पोर्टफोलियो के कम से कम 2 प्रतिशत पहुंच न जाए। जहां व्यवहार्य है, इसे 3 वर्ष की अवधि के अंतर्गत प्राप्त किया जाना चाहिए।

बैंक स्वविवेक से, आईएफ़आर में एचएफ़टी तथा एएफ़एस निवेश पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत से अधिक राशि को लाभ हानि शेष में क्रेडिट करने के लिए आहारित कर सकते हैं, जो किसी लेखा वर्ष में लाभ हानी लेखा में यथाप्रकटित हो। आईएफ़आर का शेष एचएफ़टी तथा एएफ़एस निवेश पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, निम्न शर्तों के अधीन आहरण द्वारा कमी करने की अनुमति होगी -:

- यदि आहरण द्वारा कम की गई राशि का उपयोग केवल मुक्त रिज़र्व के विनियोजन के माध्यम से या हानि के शेष को कम करते हुए न्यूनतम सीईटी 1/ टियर 1 पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। और
- आहरण द्वारा कम की गई राशि संदर्भित वर्ष के दौरान किए गए एमटीएम प्रावधान सीमा से अधिक नहीं हो, वर्ष के दौरान किए गए निवेश की बिक्री पर निवल लाभ से भी अधिक न हो।

आईएफ़आर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11236Mode=0)

डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 06 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया है कि ग्राहकों द्वारा खरीदी गई पृथक बिलकुल सादा (प्लेन वनीला) विदेशी मुद्रा विकल्पों (बिना अटैच स्ट्रक्चर्स के) को उपयोगकर्ताओं की उपयुक्तता और औचित्य मानक से छूट दी जाए और, इसकी विनियामकीय आवश्यकताएं विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के समान होंगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11242Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

निवासी व्यष्टियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

मॉनिटरिंग की व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत दी गई सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया है कि एडी बैंकों द्वारा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत व्यष्टियों द्वारा किए गए लेनदेनों की दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की प्रणाली लागू की जाए, जोकि अन्य सभी प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा भी देखी जा सकती है।

तदनुसार, इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से, सभी एडी श्रेणी-ख बैंकों से अपेक्षित है कि एलआरएस के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए दैनिक लेनदेन-वार सूचना अगले कार्यदिवस के कारोबार समाप्ति समय पर अपलोड करें। यदि कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाने हों तो एडी बैंक शून्य रिपोर्ट अपलोड करेंगे। एडी बैंक एक्सबीआरएल को एक्सेस करके सीएसवी फाइल (कोमा डिलिमिट करके) के रूप में एलआरएस आंकड़े अपलोड कर सकते हैं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11255Mode=0)

सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश समीक्षा

भारत सरकार से परामर्श करने के बाद भारतीय रिज़र्व बंक ने 6 अप्रैल 2018 को विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) की सीमाएं निम्नानुसार संशोधित की हैं:

निवेश सीमाओं में संशोधन

- केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों (जी-सेक) में एफपीआई निवेश की सीमा प्रत्येक वर्ष 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 2018-19 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 5.5 प्रतिशत और 2019-20 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की 6 प्रतिशत की जाएगी।
- राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में एफपीआई निवेश सीमा प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी।
- कॉर्पोरेट बॉन्डों में एफपीआई निवेश की समग्र सीमा कॉर्पोरेट बॉन्डों के बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी। कॉर्पोरेट बॉन्डों की श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा सभी उप-श्रेणियां बंद कर दी जाएंगी और सभी प्रकार के कॉर्पोरेट बॉन्डों में एफपीआई निवेश की एकल सीमा होगी।

आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध

संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को यह निर्णय लिया कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं तुरंत प्रभावी रूप में, वर्चुअल करेंसी में लेनदेन में भाग नहीं लेंगे या किसी व्यक्ति या संस्था जो वर्चुअल करेंसी में लेनदेन या निपटान कर रहा है उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं नहीं देंगे। इस प्रकार की सेवाओं में खातों का अनुरक्षण, पंजीकरण, ट्रेडिंग, निपटारा, समाशोधन, वर्चुअल टोकन पर ऋण देना, उनकी संपार्श्विक के रूप में स्वीकृति, उनके साथ डीलिंग करने वाले एक्सचेंजों हेतु खाता खोलना तथा खातों में वर्चुअल करेंसी की खरीद/ बिक्री के संबंध में राशि का अंतरण/ की स्वीकृति शामिल है।

पहले से इस प्रकार की सेवाएं देने वाली विनियमित संस्थाएं इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से तीन महीनों के अंतर्गत इसे समाप्त करें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11243Mode=0)

- एसडीएल के अंतर्गत दीर्घावधि उप-श्रेणी में कोई नया आबंटन नहीं किया गया है। इस उप-श्रेणी के लिए 13,600 करोड़ की मौजूदा सीमा में से 6,500 करोड़ की राशि सरकारी प्रतिभूति श्रेणी में अंतरित की गई है।
- दो उप-श्रेणियों सामान्य और दीर्घावधि की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धि का आबंटन वर्तमान 25:75 के अनुपात पर रहा है। तथापि, निवेश ब्याज के आकलन के आधार पर यह अनुपात 2018-19 के लिए 50:50 पर रिसेट किया गया है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में कूपन निवेश जो अब तक निवेश सीमा से बाहर था, को अब सरकारी प्रतिभूति सीमाओं के अंदर माना जाएगा। तथापि, एफपीआई बिना किसी प्रतिबंध के कूपन निवेश कर सकते हैं जैसाकि वे अब करते हैं। सीमाओं की आवधिक रि-सेटिंग के समय पर ही, कूपन निवेशों को उपयोग राशि में जोड़ दिया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए 4,760 करोड़ के कूपन निवेश का स्टॉक सरकारी प्रतिभूतियों की सामान्य उप-श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक उपयोग में जोड़ दिया जाएगा। चूंकि यह एकबारगी उपाय के रूप में नई नीति है, सरकारी प्रतिभूतियों की सामान्य उप-श्रेणी में निवेश सीमा को 31 मार्च 2018 की कूपन पुनर्निवेश स्टॉक के बराबर राशि द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। कूपन निवेश राशि के कारण सीमा में वृद्धि पैराग्राफ 3(ए) में इंगित सीमा से अधिक है।
- यह कूपन पुनर्निवेश व्यवस्था बाद में अन्य ऋण श्रेणियों में प्रदान की जाएगी।

तदनुसार, विभिन्न श्रेणियों के लिए सीमाएं पूर्णांकन के बाद संशोधित की जाएंगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11241Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान प्रणाली डेटा का संचयन

बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, इन सिस्टम प्रदाताओं के साथ संग्रहीत डेटा के साथ-साथ उनके सेवा प्रदाताओं / मध्यस्थों / तीसरी पार्टी विक्रेताओं और भुगतान इकोसिस्टम में अन्य संस्थाओं के साथ मुक्त पर्यवेक्षी पहुंच होना महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया कि:

- सभी सिस्टम प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित पूरा डेटा केवल भारत में ही सिस्टम में संग्रहीत है। इस डेटा में पूर्ण अंत से अंत तक लेनदेन विवरण / एकत्रित जानकारी/ साथ रखी हुई / संदेश के निर्देश के हिस्से के रूप में संसाधित/ भुगतान निर्देश शामिल होनी चाहिए। लेनदेन के विदेशी चरण के लिए, यदि कोई हो, तो आवश्यकतानुसार, डेटा को विदेशी देश में भी संग्रहीत किया जा सकता है।
- सिस्टम प्रदाता छह महीने की अवधि के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और 15 अक्टूबर 2018 तक रिजर्व बैंक को अनुपालन की रिपोर्ट करेंगे।
- सिस्टम प्रदाता पूर्ण होने पर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) जमा करेंगे। यह ऑडिट सीईआरटी-आईएन सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा गतिविधि के पूर्ण होने को प्रमाणित करते हुए किया जाना चाहिए। सिस्टम प्रदाताओं के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एसएआर को 31 दिसंबर 2018 से पहले रिजर्व बैंक को जमा किया जाना चाहिए।

हाल के दिनों में, देश में भुगतान इकोसिस्टम में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे सिस्टम भी अत्यधिक प्रौद्योगिकी निर्भर हैं, जिसमें सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जो निरंतर आधार पर उच्च श्रेणी के हो। यह देखा गया है कि भारत में सभी सिस्टम प्रदाता भुगतान डेटा संचयन नहीं करते हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11244Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन – मानक

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 अप्रैल 2018 को बैंकों को सूचित किया कि बैंक नकदी प्रबंधन सेवाओं से संबन्धित गतिविधियों के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी व्यवस्थाओं में कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा करें तथा इस परिपत्र की तारीख के 90 दिन के भीतर इसे अनुदेशों के अनुरूप बनाएं।

चूंकि सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई नकदी बैंक की संपत्ति है तथा इसके साथ जुड़े हुए सभी जोखिमों के लिए बैंक उत्तरदायी है, बैंक इस प्रकार के किसी भी आकस्मिक व्यय से निपटने के लिए उनके निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित उचित व्यवसाय निरंतरता योजना का निर्धारण करेंगे।

बैंक नकदी प्रबंधन सेवाओं से संबन्धित गतिविधियों में आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं की बढ़ती हुई निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, इस प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं हेतु कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाएंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11245Mode=0)

एटीएम में कैसेट – स्वैप

मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा खुली नकदी भरने / टॉप-अप करने के जोखिम की गंभीरता को कम करने के लिये रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अप्रैल 2018 को बैंकों को सूचित किया है कि बैंक अपने एटीएम में ताले वाले कैसेटस का उपयोग करने पर विचार करें, जो नकदी की भराई करते स्वैप किए जायें । उक्त का कार्यान्वयन एक चरणबद्ध रूप में इस प्रकार से किया जाए जिससे बैंकों द्वारा परिचालित एटीएम में से कम से कम एक तिहाई एटीएम प्रत्येक वर्ष कवर हों तथा 31 मार्च 2021 तक सभी एटीएम कैसेटस बदली का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकें ।

बैंकों को 30 जून 2018 से प्रारम्भ करते हुये, प्रत्येक तिमाही के 15 दिन के भीतर, एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में उनका प्रधान कार्यालय स्थित है, के निर्गम विभाग को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।

रिज़र्व बैंक ने पारगमन खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) (अध्यक्ष: डॉ.डी. के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था । (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11256Mode=0)

मिन्ट स्ट्रीट मेमो

सीपीआई मुद्रास्फीति पर एचआरए में वृद्धि का प्रभाव

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2018 को मिन्ट स्ट्रीट मेमो श्रृंखला के अंतर्गत प्रज्ञा दास द्वारा लिखित 'सीपीआई मुद्रास्फीति पर आवास किराया भत्ते में वृद्धि का प्रभाव' के रूप मं 11 वें मिन्ट स्ट्रीट मेमो के रूप में अपलोड किया ।

यह पेपर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के बाद आवास किराया भत्ते (एचआरए) में वृद्धि का हेडलाइन मुद्रास्फीति पर प्रभाव का अध्ययन करता है और निम्न सुझाव प्रस्तुत करता है :

(i) भविष्य के आधार पर संशोधन के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए घर किराए पर डेटा एकत्र करने के लिए आवास के निश्चित नमूने की तैयारी करते समय, सरकारी घरों का प्रातिनिधिक हिस्सा राज्यों में केंद्रीय और राज्य सरकार के घरों के वास्तविक हिस्से को प्रतिबिंबित करें; और

(ii) मौजूदा श्रृंखला के लिए, आगे बढ़ते हुए सामने आनेवाले राज्यों के विकसित प्रभाव, के लिए सरकारी आवासों और अन्य आवासों के लिए अलग से हाउसिंग इंडेक्स प्रकाशित किया जाए। (https://rbi.org.in/Scripts/MSM_Mintstreetmemos11.aspx)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।

रिजर्व बैंक ने 19 अप्रैल 2018 को नये रूप से जन जागरूकता अभियान शुरू किया । बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते पर प्रिंट, श्रव्य (ऑडियो) और दृश्यमान (विजुअल) सृजनात्मक रचनाओं के विमोचन से इसकी शुरूआत की गई।

बीएसबीडी खातों पर फिल्म

अभियान के एक हिस्से के रूप में, रिजर्व बैंक ने वर्तमान आईपीएल मैच के दौरान बीएसबीडी खाते खोलने पर एक वीडियो प्रदर्शित कर दिया है। यह वीडियो स्टार स्पोर्ट्स और दूरदर्शन तथा आईपीएल के लिए विशेष प्रसारण के लिए अधिकार प्राप्त चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है ।

जन जागरूकता के लिए यह फिल्म YouTube channel https://www.youtube.com/watch?v=bh3vS2BJBNIsns=emto create public awareness. पर उपलब्ध है।

जल्द ही आ रहे हैं:

* ₹ 10 के सिक्के
* अपनी देयता जानें
* डिजिटल बैंकिंग के लिए सुरक्षा
* वरिष्ठ नागरिक
* बैंकिंग लोकपाल योजना
* जोखिम बनाम प्राप्तियां

अब बैंकिंग करना आसान!

अपना बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलें। न्यूनतम शेष रखने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड या फॉर्म सं. 60 द्वारा आसानी से खाता खोलने की सुविधा पाएं।

केएल राहुल
भारतीय क्रिकेटर व आरबीआई कर्मचारी

उमेश यादव
भारतीय क्रिकेटर व आरबीआई कर्मचारी

- बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता कोई भी व्यक्ति खोल सकता है; इसमें आयु और आय का कोई संबंध नहीं होता है।
- बीएसबीडी खाता बिना किसी प्रारंभिक जमा राशि के खोला जा सकता है; इसमें न्यूनतम शेष रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- ग्राहक के अनुरोध पर सामान्य बचत बैंक खाते को बीएसबीडी खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।
- एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधा बीएसबीडी खाता धारक को बिना प्रभार के दी जाती है।
- बीएसबीडी खाते में जमा करने की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है।
- बीएसबीडी खाता धारक हर महीने अधिकतक चार बार बिना प्रभार के आहरण कर सकते हैं, जिसमें एटीएम से आहरण, आरटीजीएस/एनईएफटी/समाशोधन/इंटरनेट नामे/स्थायी अनुदेश/ईएमआई आदि द्वारा अंतरण का समावेश होता है।
- बीएसबीडी खाता धारक उसी बैंक में अन्य बचत बैंक खाता नहीं खोल सकते हैं।

आरबीआई कहता है!

अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें या https://faqs.rbi.org.in पर जाएं या अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें। इस विज्ञापन में छापी गई जानकारी के संबंध में फीडबैक देने के लिए हमें rbikehtahai@rbi.org. पर लिखें।

जनहित मे जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in